

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ. 2024/2251

दिनांक 22/07/24

प्रार्थीगण :-

1 जयराम 2 पम् 3 रूपा 4 श्रवण पि जादा
5 गेरी देवी पत्नि जादा 6 द्वारका पुत्र जादा के
का मु - 6/1 लीलादेवी पत्नि द्वारकाराम
जातियान मेघवाल, निवासी इटादिया
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण :-

1 आदम पुत्र लाखा 2 आलमा पत्नि करीम 3 साजन पुत्र
लाखा, जाति मुसलमान 4 चेतनराम 5 लीलाराम 6 वीरमाराम
पि रिडमलराम 7 अनोपाराम पुत्र उतमाराम 8 रामाराम पुत्र
सरदारा 9 करनाराम 10 धनाराम पि रावताराम 11 खेता पुत्र
माना, जाति सुथार, निवासी इटादिया 12 चेतन पुत्र पांचाराम,
जाति मेघवाल निवासी रबासर 13 मीना पत्नि नरसिंह,
जाति पुरोहित, निवासी इटादिया, तहसील धनाऊ,
14. तहसीलदार धनाऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 67/2024

दिनांक : 22.07.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र
ईटादा के मौजा ईटादिया के खेत खसरा सं. 989/690 रकबा 06.4750 हैक्टेयर, भूमि के चारों
तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की
नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के
रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर
पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित
पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश
रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2252 to 55
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण जयराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण आदम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 22/07/24



(मुरजभान विश्वासी)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन